

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.- /2017 पुनरीक्षण

R-1185 - II - 17

474

- ① श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व.श्री चित्रभान सिंह आयु-65वर्ष
- ② सुरेन्द्रभान सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह आयु-70 वर्ष
- ③ बृजभान सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह आयु-67वर्ष
- ④ धीरेन्द्रभान सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, आयु-65वर्ष,
- ⑤ उपेन्द्रभान सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, आयु-55वर्ष
- ⑥ नरेन्द्रभान सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, आयु-52वर्ष
- ⑦ शत्रुभान सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, आयु-45वर्ष

निवासीगण- ग्राम सुर्जमा, तहसील कैलारस, जिला मुर्ना

बनाम

- 1- सरपंच ग्राम पंचायत सुर्जमा, तहसील कैलारस, जिला मुर्ना
- 2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसील कैलारस, जिला मुर्ना

अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के प्रकरण क्रमांक-47/16-17बी 121 आदेश दिनांक-06.04.2017 के विरुद्ध पुनरीक्षण के अंतर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-


- 1- यहकि, आवेदक द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 57 (2) भूराजस्व संहिता के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुर्ना के यहाँ प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है।
- 2- यहकि, उक्त आवेदन में ग्राम सुर्जमा के सर्वे क्र.-721, रकवा-9 विस्वा, सर्वे क्र.-723 रकवा-3 बीघा 8 विस्वा, सर्वे क्र.-724 रकवा-2 बीघा 3 विस्वा, सर्वे क्र.-725 रकवा-1 बीघा 15 विस्वा, सर्वे क्र.-990 रकवा-3 बीघा 8 विस्वा, सर्वे क्र.-991 रकवा 4 बीघा 2 विस्वा, कुल कित्ता 6 कुल रकवा 18 बीघा 5 विस्वा भूमि के सम्बंध में धारा 57(2) भू.रा.सं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1185-दो/17

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	